मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2005-जनवरी 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी, 2006 (पौष13, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,तथा

(ख) बांट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम,1985 (क्रमांक 54 सन् 1985) की धारा 72 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-45/99/उन्तीस-2, दिनांक 17 मार्च 2005,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री :-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,

(ii) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 अप्रैल,2004 से 31 मार्च, 2005,

(iii) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च,2005 को समाप्त अवधि हेतु,तथा

(ख) विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 185 की उपधारा (2) (द) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, रामलखन शर्मा एवं श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, हरदा एवं होशंगाबाद जिलों में किए गये नसबंदी आपरेशन में चिकित्सकों की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से जहरीली शराब बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 47-मलेहरा की सदस्या सुश्री उमा भारती को दिसम्बर 2005- जनवरी 2006 सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 34-मुंगावली के सदस्य श्री गोपाल सिंह चौहान (डग्गी राजा) को दिसम्बर 2005- जनवरी 2006 सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

(3) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 84-अनूपपुर के सदस्य श्री रामलाल रौतेल को दिसम्बर 2005-जनवरी 2006 सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के :-

(क) ग्राम बेरछा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम बेरछा के पास पुलिया बनाये जाने,

(ग) ग्राम भीकनपुर में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने, तथा

(घ) ग्राम निपानिया स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री धरमू राय, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का चतुर्थ, पंचम्, षष्टम् सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री दिलीप भटेरे, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का पंचम्, षष्टम् सप्तम्, अष्टम्, नवम्, दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) सुश्री निर्मला भूरिया, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

7. जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री, दिनांक 26 जुलाई, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 286) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 25 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 26 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

9. वर्ष 2005-2006 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 59, 64, 66, 67, 69, 72, 76, 78, 79, 80, 82 तथा 95 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तैंतालीस सौ नवासी करोड़ तैंतीस लाख, चालीस हजार, आठ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

2 घन्टे

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2006) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 23 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

11. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत की दरों में बार-बार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

1 घन्टा 30 मि. (2) प्रदेश में सिंचाई हेतु बांधों से समय पर पानी नहीं छोड़े जाने तथा नहरों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक: 2 जनवरी, 2006